राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
(निःषुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010

सं. एल/61/10/रा.वि.से.प्रा. – केंद्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन हकदार व्यक्तियों को निःषुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःषुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 है।

(2) ये भारत में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक विधिक सेवा समितियों को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाषन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) **''अधिनियम''** से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है,

(ख) **''प्रारूप''** से इन विनियमों से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है,

(ग) **''प्रबंध कार्यालय''** से विधिक सेवा संस्था में वह कक्ष अभिप्रेत है, जहां विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है।

(घ) **''विधि व्यवसायी''** का वही अर्थ होगा, जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 के खंड (झ) में है,

(ड) **''विधिक सेवा संस्था''** से, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है,

(च) **''पैरा विधिक''** स्वयंसेवक से विधिक सेवा संस्था द्वारा इस प्रकार प्रषिक्षित ''पैरा विधिक'' स्वयंसेवक अभिप्रेत है।

(छ) **''सचिव''** से विधिक सेवा संस्था का सचिव अभिप्रेत है।

(ज) **''धारा''** से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(झ) **''राज्य विनियम''** से अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत है।

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन विनियम में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विधिक सेवाओं के लिए आवेदन – (1) विधिक सेवाओं के लिए कोई आवेदन स्थानीय भाषा या अंग्रेजी में अधिमानतः प्रारूप–1 में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) कोई आवेदक अपनी षिकायत, जिसके लिए वह विधिक सेवाओं को चाहता है, संक्षिप्त रूप में एक पृथक प्रपत्र में आवेदन के साथ दे सकेगा।

(3) किसी आवेदन, यद्यपि प्रारूप–1 में नहीं है, को भी ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आवेदक ने विधिक सेवाएं चाहने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने के लिए तथ्यों को युक्तियुक्त ढंग से स्पष्ट कर दिया है।

(4) यदि आवेदक निरक्षर है या वह स्वयं आवेदन देने में असमर्थ है, विधिक सेवा संस्था आवेदक के आवेदन प्रारूप को भरने में और षिकायतों का एक टिप्पण तैयार करने में उसकी सहायता करने की व्यवस्था कर सकेगा।

(5) विधिक सेवा के लिए मौखिक अनुरोध को भी उसी रीति में ग्रहण किया जा सकेगा, जिस रीति में कोई आवेदन उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के अधीन ग्रहण किया जाता है।

(6) पैरा विधिक स्वयं सेवकों, विधिक सहायता क्लबों, विधिक सहायता क्लिनिक्स और स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं द्वारा परामर्ष प्राप्त करने वाले आवेदक को भी निःषुल्क विधिक सेवाओं के लिए भी विचार में लिया जा सकेगा।

(7) आवेदक की पहचान का सत्यापन के पष्चात् और यह सुनिष्चित होने पर कि आवेदक/आवेदिका द्वारा की गई षिकायत उसकी स्वयं की है, निःषुल्क विधिक सेवाओं के लिए ई–मेल और ऑन–लाइन सुविधा से संपर्क द्वारा प्राप्त अनुरोध को भी विचार में लिया जा सकेगा।

4. विधिक सेवा संस्था में प्रबंध कार्यालय का होना – (1) सभी विधिक सेवा संस्थाओं में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध पैनल वकील और एक या अधिक पैरा विधिक स्वयंसेवक के साथ प्रबंध कार्यालय होगा।

(2) न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं के मामले में, आवेदन पर विचार करने के पष्चात् ऐसा वकील उसे विनियम 7 के अधीन गठित समिति को अग्रेषित करेगा और अन्य प्रकार की विधिक सेवाओं के लिए पैनल का वकील प्रबंध कार्यालय में ऐसी विधिक सेवाएं प्रदान कर सकेगा।

(3) प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील सूचनाओं का प्रारूपण, वकीलों की सूचनाओं का उत्तर भेजना, और आवेदनों, अर्जियों आदि का प्रारूपण जैसी सेवाएं देगा।

(4) प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील विधिक सेवा संस्थाओं के कर्मचारीवृंद से सचिवीय सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(5) अतिआवष्यक विषयों के मामले में प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील विधिक सेवा संस्थाओं के सदस्य सचिव या सचिव के परामर्ष से समुचित प्रकृति की विधिक सहायता प्रदान कर सकेगा।

परन्तु विनियम 7 के अधीन गठित की गई समिति प्रबंध कार्यालय में पैनल के वकील द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार और अनुमोदन कर सकेगी।

5. निःषुल्क विधिक सेवाओं के हकदार होने का सबूत—(1) आवेदक का एक शपथपत्र कि वह धारा 12 के अधीन निःषुल्क विधिक सेवाओं के हकदार व्यक्तियों के प्रवर्गों के अधीन आता है, प्रस्तुत करेगा जो कि साधारणतया पर्याप्त होगा।

(2) शपथ—पत्र को, यथास्थिति, न्यायाधीष, मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक, अधिवक्ता, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि, राजपत्रित अधिकारी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय के अध्यापक के समक्ष हस्ताक्षर किया जा सकेगा।

(3) शपथ—पत्र को सादा कागज पर तैयार किया जा सकेगा और उस पर अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति की मुद्रा होगी।

6. आवेदक द्वारा दिए जाने वाले मिथ्या और असत्य ब्यौरों का परिणाम— आवेदक द्वारा, यदि गलत या मिथ्या सूचना या कपटपूर्ण रीति द्वारा निःषुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त की गई है तो उसे सूचित किया जाएगा कि उसकी विधिक सेवाओं को तत्काल रोक दिया जाएगा और विधिक सेवा संस्था द्वारा उस पर उपगत व्यय उससे वसूली योग्य होगा।

7. निःषुल्क विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन — (1) तालुक, जिला, राज्य और उससे ऊपर के स्तर पर विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए विधिक सेवा संस्था द्वारा गठित की जाने वाली एक समिति होगी।

(2) समिति विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित होंगे —

(i) अध्यक्ष के रूप में विधिक सेवा संस्था के सदस्य–सचिव या सचिव और दो सदस्य जिसमें से एक न्यायिक अधिकारी हो सकेगा, जिसे अधिमानतः विधिक सेवा संस्था में कार्य करने का अनुभव हो,

(ii) यथास्थिति, एक विधिक वृत्तिक या सरकारी प्लीडर या सहायक सरकारी प्लीडर अथवा लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, जिसे कम से कम 15 वर्ष का विधिज्ञ अनुभव हो ।

(3) समिति के सदस्यों की अवधि साधारणतया दो वर्ष की होगी, जिसे अधिकतम एक वर्ष के लिए और विस्तारित किया जा सकेगा और विधिक सेवा संस्था का सदस्य–सचिव या सचिव, तथापि, समिति का पदेन अध्यक्ष बना रहेगा।

(4) समिति आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन करेगी तथा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर यह विनिष्चय करेगी क्या आवेदक विधिक सेवाएं पाने का हकदार है या नहीं।

(5) यदि, आवेदक धारा 12 में वर्णित प्रवर्ग के अधीन नहीं आता है, तो उसे स्वेच्छया या किसी अन्य स्कीम के अधीन निःषुल्क विधिक सेवा प्रदान करने वाले किसी अन्य निकाय या व्यक्ति से सहायता प्राप्त करने के लिए परामर्ष दिया जाएगा।

(6) विधिक सेवा संस्था ऐसे अभिकरणों, संस्थाओं या व्यक्तियों की सूची रखेगा, जिन्होंने निःषुल्क विधिक सेवाएं देने में अपनी रजामंदी व्यक्त की है।

(7) समिति के विनिष्चय या आदेष द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष को अपील कर सकेगा या कर सकेगी और अपील पर किया गया विनिष्चय या आदेष अंतिम होगा।

8. वकीलों के पैनल के रूप में विधि व्यवसायियों का चयन – (1) प्रत्येक विधिक सेवा संस्था पैनल वकीलों के रूप में विधि व्यवसायियों के नाम पैनलित करने के लिए उनसे आवेदन आमंत्रित करेगा और ऐसे आवेदनों के साथ मामलों के प्रकार के विषेष संदर्भ के साथ वृत्तिक अनुभव का सबूत लगा होगा, जिसे आवेदक–विधि व्यवसायी को मामला सौंपे जाने में अधिमानता दी जा सकेगी।

(2) उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी और विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, महान्यायवादी (उच्चतम न्यायालय के लिए), महाधिवक्ता (उच्च न्यायालय के लिए), जिला न्यायवादी या सरकारी अधिवक्ता (जिला और तालुक स्तर के लिए) और अपने–अपने बार संगम के अध्यक्षों से परामर्ष करके वकीलों के पैनल का चयन किया जाएगा ।

(3) ऐसा विधि व्यवसायी, जिसके पास विधिज्ञ का तीन वर्ष से कम का अनुभव है, का नाम साधारणतया पैनलित नहीं किया जाएगा।

(4) वकीलों का पैनल तैयार करने में ऐसे वकीलों की सक्षमता, निष्ठा, योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा।

(5) विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे सिविल, दांडिक, संविधानिक विधि, पर्यावरण विधि, श्रमिक विधि, वैवाहिक विवाद आदि के लिए पृथक पैनल रख सकेंगे।

(6) विधिक सेवा संस्था का अध्यक्ष, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्ष से पैनल वकीलों में से प्रतिधारक के रूप में किए जाने वाले विधि व्यवसायियों की एक सूची तैयार कर सकेगा।

(7) प्रतिधारक वकीलों का चयन कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नियत अवधि के लिए चक्रानुक्रम आधार पर या कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य पद्धति द्वारा किया जाएगा।

(8) प्रतिधारक वकीलों की संख्या निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :–

(क) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में 20

(ख) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में 15

(ग) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 10

(घ) तालुक विधिक सेवा समिति में 5 ।

(9) प्रतिधारक वकीलों को निम्नलिखित मानदेय संदेय होगा :–

(क) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की दषा में 10,000/– रूपए प्रतिमास,

(ख) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की दषा में 7,500/– रूपए प्रतिमास,

(ग) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की दषा में 5,000/– रूपए प्रतिमास,

(घ) तालुक विधिक सेवा समिति की दषा में 3,000/– रूपए प्रतिमास,

परंतु इस उपविनियम में विनिर्दिष्ट मानदेय विधिक सेवा संस्था द्वारा प्रतिधारक वकीलों को सौंपे गए प्रत्येक मामले में संदेय मानदेय या फीस के अतिरिक्त है।

(10) प्रतिधारक के रूप में पदाविहित पैनल वकील अपना समय केवल विधिक सहायता कार्य के लिए लगाएंगे और विधिक सहायता मामलों से संबंधित के लिए क्रमषः विधिक सेवा संस्था के प्रबंध कार्यालय या परामर्ष कार्यालय में सदैव उपलब्ध होंगे।

(11) उपविनियम (2) के अधीन तैयार किया पैनल, तीन वर्ष की अवधि के पष्चात् पुनः गठित किया जाएगा, किंतु किसी पैनल वकील को पहले से ही सौंपे गए मामलों को पैनल के पुनः गठित होने के कारण उससे वापस नहीं लिया जाएगा।

(12) विधिक सेवा संस्था कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम के दौरान प्रतिधारक से कोई मामला वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

(13) यदि कोई पैनल वकील किसी मामले से हटना चाहता है तो वह सदस्य–सचिव या सचिव को कारणों का उल्लेख करेगा और उसके पष्चात् पैनल वकील को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(14) इन विनियमों के अधीन जिस व्यक्ति को विधिक सेवा दी जा रही हो, से पैनल वकील किसी भी रीति में कोई फीस, या पारिश्रमिक या मूल्यवान प्रतिफल नहीं मांगेगा या प्राप्त करेगा।

(15) यदि नियुक्त पैनल वकील संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है या उसने अधिनियम और इन विनियमों के उद्देष्य और भावना के प्रतिकूल कार्य किया है, तो विधिक सेवा संस्था समुचित कदम उठाएगी, जिसके अंतर्गत ऐसे वकील को मामले से हटाना और उसे पैनल से हटाना भी सम्मिलित है।

9. विधिक सलाह, परामर्ष, प्रारूपण और हस्तांतर–लेखन के द्वारा विधिक सेवाएं – (1) विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष विधिक सलाह और अन्य विधिक सेवाएं जैसे प्रारूपण और हस्तांतर लेखन प्रदान करने के लिए वरिष्ठ वकीलों, विधि फर्मों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, मध्यस्थों, सुलहकर्ताओं और विधि विष्वविद्यालयों या विधि महाविद्यालयों में विधि प्राध्यापकों का एक पृथक पैनल रखेगा।

(2) विधि सहायता क्लिनिक की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और विधि महाविद्यालयों तथा विधि विष्वविद्यालयों के लिए भी प्रयोग में ली जाएगी।

10. मॉनीटरी समिति – (1) प्रत्येक विधिक सेवा संस्था न्यायालय आधारित प्रदत्त विधिक सेवाओं और विधिक सहायता मामलों की प्रगति की निकट से मॉनीटरी के मामलों के लिए एक मॉनीटरिंग समिति की स्थापना करेगी।

(2) यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय स्तर पर, मॉनीटरी समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –

(i) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष,

(ii) विधि सेवा संस्था का सदस्य सचिव या सचिव,

(iii) विधिक सेवा संस्था के प्रमुख आश्रयदाता द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ज्येष्ठ अधिवक्ता ।

(3) जिला या तालुक विधिक सेवा संस्था के लिए मॉनीटरी समिति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(i) संबंधित जिला में तैनात उच्च न्यायिक सेवा का ज्येष्ठतम सदस्य, इसका अध्यक्ष होगा,

(ii) विधिक सेवा संस्था का सदस्य–सचिव या सचिव,

(iii) स्थानीय विधिज्ञ संगम के अध्यक्ष से परामर्ष करके नामनिर्दिष्ट होने वाला विधि व्यवसायी जिसे स्थानीय विधिज्ञ संगम का पंद्रह वर्ष से अधिक का अनुभव हो,

परंतु यह कि यदि कार्यकारी अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि इस उप–विनियम में वर्णित किन्हीं प्रवर्गों का कोई व्यक्ति नहीं है तो वह ऐसे अन्य व्यक्तियों से मॉनीटरी समिति का गठन कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

11. मॉनीटरी समिति के कृत्य– (1) जब कभी किसी आवेदक को विधिक सेवाएं प्रदत्त की जाती है, तो सदस्य–सचिव या सचिव यथाशीघ्र मॉनीटरी समिति को प्रारूप–2 में ब्यौरे भेजेगा।

(2) विधिक सेवा संस्था विधिक सहायता मामलों की दिन–प्रतिदिन की प्रगति के अभिलेख के रखने के लिये मॉनीटरी समिति को पर्याप्त कर्मचारीवृंद और अवसंरचना उपलब्ध कराएगी।

(3) विधिक सेवा संस्था न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मामलों की प्रगति सुनिष्चित करने के लिये न्यायालय द्वारा अनुरक्षित रजिस्टरों का अवलोकन करने के लिये निवेदन कर सकेगी।

(4) मॉनीटरी समिति उन मामलों की बाबत, जिनके लिये विधिक सहायता अनुज्ञात की गई है, की दिन–प्रतिदिन की प्रविष्टियों, मामले की प्रगति और अंतिम परिणाम (सफलता या असफलता) का अभिलेख रखने के लिये, विधिक सहायता प्राप्त मामलों के लिये रजिस्टर रखेगी तथा उक्त रजिस्टर की संवीक्षा प्रत्येक मास समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(5) मॉनीटरी समिति ऐसे समय के भीतर जो समिति द्वारा अवधारित किया जाए, पैनल के वकीलों से रिपोर्ट मंगाकर न्यायालय की दिन–प्रतिदिन की कार्यवाहियों पर निगरानी रखेगी।

(6) यदि मामले की प्रगति संतोषप्रद नहीं है तो समिति विधिक सेवा संस्था को समुचित कदम उठाने के लिये सलाह दे सकेगी।

12. मॉनीटरी समिति द्वारा द्वि–मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना–

(1) मॉनीटरी समिति प्रत्येक विधिक सहायता प्राप्त मामले की प्रगति और पैनल वकील या प्रतिधारक वकील के कार्य निष्पादन पर उसका स्वतंत्र मूल्यांकन अंतर्विष्ट करने वाली द्वि–मासिक रिपोर्ट विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

(2) समिति द्वारा रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात् विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष प्रत्येक मामले में की जाने वाली कार्यवाही विनिष्चित करेगा।

(3) विधिक सेवा संस्था के सदस्य–सचिव या सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह मॉनीटरी समिति की रिपोर्ट विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करे और आदेष प्राप्त करे।

13. वित्तीय सहायता – (1) यदि किसी मामले में, जिसके लिये विधिक सहायता अनुदत्त की गई है, अतिरिक्त व्यय जैसे न्यायालय फीस के संदाय, न्यायालय द्वारा नियुक्त कमीषन को संदेय फीस, साक्षियों या दस्तावेजो के समन के लिये, प्रमाणित प्रतियां आदि प्राप्त करने के लिये व्यय की अपेक्षा है तो विधिक सेवा संस्था पैनल के वकील या मॉनीटरी समिति की सलाह पर अपेक्षित रकम के संवितरण के लिये अति आवष्यक उपाय करेगी।

(2) अपील या पुनरीक्षण के मामले में, विधिक सेवा संस्था निर्णय और मामले के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिये व्ययों का वहन कर सकेगी।

14. पैनल के वकीलों को फीस का संदाय – (1) पैनल के वकीलों को राज्य विनियमों के अधीन यथा अनुमोदित, फीस की अनुसूची के अनुसार फीस का संदाय किया जाएगा।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य विधिक सेवा संस्था विधिक सहायता के मामलों में पैनल के वकीलों द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिये संदाय किये जाने वाले मानदेय का कालिक रूप से पुनरीक्षण करेंगे।

(3) जैसे ही पैनल के वकील से कार्यवाही के पूर्ण होने की रिपोर्ट प्राप्त होती है, विधिक सेवा संस्था, बिना किसी विलंब के, पैनल के वकील को संदेय फीस और व्ययों का संदाय करेगी।

15. समुचित मामलों में ज्येष्ठ वकीलों की विषेष नियुक्ति– (1) यदि मॉनीटरी समिति या विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष की यह राय है कि ज्येष्ठ वकील की सेवा, यद्यपि वह वकीलों के अनुमोदित पैनल में सम्मिलित नहीं है, किसी विषिष्ट मामले में प्रदत्त की जानी है, तो विधिक सेवा संस्था ऐसे ज्येष्ठ वकील को नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष ऐसे ज्येष्ठ वकील के लिए मानदेय का विनिष्चय कर सकेगा,

परन्तु ज्येष्ठ वकीलों की विषेष नियुक्ति, केवल व्यापक लोक महत्व के मामलों और अत्यंत गंभीर प्रकृति के, आवेदक के जीवन और स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले मामलों में बचाव के लिए ही की जाएगी।

16. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सहायता के मामलों का मूल्यांकन – (1) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की मानीटरी समिति की द्वि–मासिक रिपोर्टों की प्रतियां केंद्रीय प्राधिकरण को भेजेगी।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपनी मानीटरी समितियों की द्वि–मासिक रिपोर्टों की प्रतियां अपने प्रमुख आश्रयदाता को प्रस्तुत करेगी।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समिति अपनी मानीटरी समिति की द्वि–मासिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगी।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मानीटरी समिति की समेकित अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट को, प्रत्येक विधिक सहायता प्राप्त मामले में सफलता या असफलता दर्षित करते हुए केंद्रीय प्राधिकरण को भेजेगा।

(5) समुचित मामलों में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष इन विनियमों के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवा संस्था को पर्यवेक्षित करने, मानीटर करने या सलाह देने के लिए अपने केंद्रीय प्राधिकरण के सदस्यों को नामनिर्देषित और प्राधिकृत कर सकेगा। यू. शरतचन्दन,

सदस्य–सचिव

(विज्ञापन ।।।/4/123/10/असा)

प्रारूप–1
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
(निःषुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010
(विनियम–3 देखें)

विधिक सेवा के लिए आवेदन का प्रारूप
(इसे क्षेत्रीय भाषा में तैयार किया जाए)

रजिस्ट्रीकरण संख्या–

1. नाम :

2. स्थायी पता :

3. टेलीफोन संख्या सहित, संपर्क का पता यदि कोई, ई–मेल, आईडी, यदि कोई हो :

4. क्या आवेदक अधिनियम की धारा 12 में वर्णित व्यक्ति के प्रवर्ग की श्रेणी में आता है :

5. आवेदक की मासिक आय :

6. क्या अधिनियम की धारा–12 के अधीन आय/अर्हता के समर्थन में शपथपत्र/सबूत प्रस्तुत किया गया है :

7. विधिक सहायता की प्रकृति या सलाह अपेक्षित है :

8. मामले का संक्षिप्त विवरण, यदि न्यायालय आधारित

विधिक सेवाएं अपेक्षित है :

स्थान –
तारीख –

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप–2

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
(नि:षुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010

(विनियम–11 देखें)

प्रदत्त विधिक सेवा के बारे में मानीटरी समिति को दी गई सूचना

(i) विधिक सेवा संस्था का नाम :

(ii) विधिक सहायता आवेदन संख्यांक और वह तारीख जिसको विधिक सहायता दी गई :

(iii) विधिक सहायता आवेदक का नाम :

(iv) मामले की प्रकृति (सिविल, दांडिक, संवैधानिक विधि आदि) :

(v) आवेदक को समनुदेषित वकील का नाम और अनुक्रमांक :

(vi) उस उच्च न्यायालय का नाम जिसमें मामला फाइल किया जाना है/प्रतिवाद किया जाना है :

(vii) पैनल के वकील को नियुक्त करने की तारीख :

(viii) क्या अग्रिम के तौर पर कोई धनीय सहायता जैसे न्यायालय फीस, अधिवक्ता कमीषन फीस, प्रतिलिपि शुल्क आदि दी गई है :

(ix) क्या मामले में किसी अंतरिम आदेष या कमीषन की नियुक्ति की अपेक्षा है ? :

(x) अभिलेख प्रस्तुत करने, साक्षियों का समन करने आदि के लिए अनुमानित व्यय :

(xi) न्यायालय में कार्यवाही की समाप्ति के लिए अपेक्षित व्यय :